

21	वार्ड नं 19 श्री काली सह्याय के नकल से शकील अहमद के घर तक सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण	4.04	8080.00	500	90	590.00	03 माह	डी एवं उन्वत्तर
22	वार्ड नं 19 श्री अनवर के घर से नकसुद के घर होते हुए फजल मोहम्मद के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	6.37	12740.00	1000	180	1180.00	03 माह	डी एवं उन्वत्तर
23	वार्ड नं 21 किष्का रोड स्थित कुश आश्रम में 3 कक्ष एवं सींचालय का निर्माण	20.04	40080.00	2000	360	2360.00	05 माह	डी एवं उन्वत्तर
24	वार्ड नं 22 राम सिंह कोली रुखी चाली के घर से मरुथपाल के घर तक सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण	20.53	41060.00	2000	360	2360.00	05 माह	डी एवं उन्वत्तर
25	वार्ड नं 23 रमेश अग्रवाल के घर से बादशम टेकेंदार के घर तक सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण	10.50	21000.00	1500	270	1770.00	04 माह	डी एवं उन्वत्तर
26	वार्ड नं 24 कबीर द्वार से दुर्गा मन्दिर कीरवा तक सी0सी0 रोड एवं दोनों तरफ नाली निर्माण	22.86	45720.00	2000	360	2360.00	05 माह	डी एवं उन्वत्तर
27	वार्ड नं 25 में उपेन्द्र गुला के घर से शम्शाद के घर तक सी0 सी0 सड़क व दोनों तरफ नाली निर्माण	4.74	9480.00	500	90	590.00	03 माह	डी एवं उन्वत्तर
28	वार्ड नं 25 रमकिशन के घर से विराट मेडिकल स्टोर तक सी0 सी0 रोड व नाली निर्माण	24.77	49540.00	2000	360	2360.00	05 माह	डी एवं उन्वत्तर
29	वार्ड नं 31 में एलायस कालोनी में मेन बौरवा से गेट नं 3 तक नाली के ऊपर स्लैब व सोन्टरीकरण का कार्य	5.15	10300.00	1000	180	1180.00	03 माह	डी एवं उन्वत्तर
30	वार्ड नं 32 में शत्रुघ्न के घर से सेतिया के मोदान तक 250 मी0 सड़क एवं नाली निर्माण	21.66	43320.00	2000	360	2360.00	05 माह	डी एवं उन्वत्तर
31	वार्ड नं 33 आर्योकि कालोनी में अनरजील के घर से अमन सक्सेन्ड के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण	24.95	49900.00	2000	360	2360.00	05 माह	डी एवं उन्वत्तर
32	वार्ड नं 38 शिव शक्ति मन्दिर से रिंग रोड तक सी0 सी0 रोड व दोनों तरफ नाली निर्माण	23.28	46560.00	2000	360	2360.00	05 माह	डी एवं उन्वत्तर

- निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदादाता को नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2022-23 में सिविल निर्माण कार्य हेतु टेकेंदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा एवं निविदा प्रपत्रों के साथ उक्त टेकेंदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व सात्यापित प्रतियाँ सलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदादाता फर्म/टेकेंदार को नगर निगम की बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2021 को प्रस्ताव संख्या 14 में पारित प्रस्ताव के क्रम में निविदा प्रपत्रों के साथ नगर निगम रुद्रपुर का कोई बकाया न होने के सम्बन्ध में नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- निविदा प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टैपल पिन से बन्द किये गये निविदा लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर में निहित है।
- निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय से सूचना प्रकाशन की तिथि से राजकीय अवकाश छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय पर निविदा शुल्क जमाकर क्रय किये जा सकते हैं।
- निविदा प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
- निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही मान्य होगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर उक्त के साथ सलग्न धरोहर धनराशि निगम पक्ष में जमा कर ली जायेगी।
- निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य संख्या व कार्य का नाम एवं टेकेंदार/फर्म का नाम एवं टेकेंदार/फर्म की श्रेणी अंकित करना अनिवार्य होगा एवं निविदा दरों में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रमशः प्रुद 20-3 पर

10. निविदा की दरें शब्दों व अंकों दोनों अवस्थाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा दरें दशमलव बिन्दु के दो अंकों/स्थान तक ही मान्य होंगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा प्रपत्र के साथ कार्य के सापेक्ष 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो, प्रत्येक कार्य की अलग-अलग मूल-रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. ठेकेदार को निविदा प्रपत्र के साथ रु0 100.00 का गैरव्यादिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।
14. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयवधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल-2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
15. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.ए.सी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है। इच्छा की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।
16. स्वीकृत निविदाओं के कार्यदेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किये जायेंगे तथा सफल निविदादाता को कार्यदेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अथवा अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
17. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के संचयन जाँच कराना आवश्यक होगा तथा संचयन की जाँच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका खर्च विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
18. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत अथवा अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिरासी अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयवधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
19. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रुकवाट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह लिखित में नगर निगम में उसकी सूचना दे। इसी प्रकार कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।
20. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाइल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।
21. ठेकेदार का वायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गड़कों आदि को भरेगा।
22. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
23. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होंगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
24. ठेकेदार कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए रु0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिस्पाह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
25. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
26. अपरिहार्य परिस्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिरासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयवधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 02 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्वविवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।


क्रमांक: 49/2017-18

49/2017-18

27. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर ले तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
28. यदि शासन द्वारा नदिव्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
29. धनराशि के अभाव में ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
30. कार्य सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्कोरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
31. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
32. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
- नोट-समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अवसर-अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनको द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेगी।



(राजेंद्र पाल)
प्र. अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।



(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।